पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 157/2018

अनवान :

1. सुभाषचन्द्र पुत्र झिण्डुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गाधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मनोजकुमार पुत्र झिण्डुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र भज्जुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभावती पुत्री झिण्डुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्श शाखा गांधीबडी तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 31/32 के मु0नं0 28 के किला नं0 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 मु0नं0 30 के किला नं0 1 ता 4, मु0नं0 32 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 14, कुल 5.135 है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्श शाखा गांधीबडी के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 157/2018

अनवान :

1. सुभाषचन्द्र पुत्र झिण्डुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गाधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. मनोजकुमार पुत्र झिण्डुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. झिण्डुराम पुत्र भज्जुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभावती पुत्री झिण्डुराम जाति नाई निवासी सरदारपुराबास चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्श शाखा गांधीबडी तहसील भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज0)

दावा बाबत : इस्तकरार हक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88-188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादीगण

निर्णय **दिनांक :** 20.8.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 31/32 के मु0नं0 28 के किला नं0 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 मु0नं0 30 के किला नं0 1 ता 4, मु0नं0 32 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 14, कुल 5.135 है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 झिण्डुराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा भज्जुराम की खातेदारी हुआ करती थी जो भज्जुराम के देहान्त होने पर तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज हो गई थी। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।

वादभूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया जिसमें प्रतिवादी सं0 2 प्रभावती ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से दर्ज है, वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वर्तमान में कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी झिण्डुराम के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 सुभाषचन्द्र के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 9 एसडीआर खाता सं0 31/32 सम्वत् 2074–77 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 9 एसडीआर सम्वत् 2046 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 9 एसडीआर सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के विरासतन प्राप्त हुई है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होने के कारण वाद कृषि भूमि में वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 9 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित किया हैं जिसकी पुष्टि में फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 9 एसडीआर सम्वत् 2046 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 9 एसडीआर सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वादभूमि वादीगण के दादा भजु वल्द मुला के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में झिण्डुराम के वारिसान में पत्नी मीरां देवी, दो पुत्र सुभाषचन्द्र व मनोज कुमार व एक पुत्री प्रभावती होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं0 31/32 के मु0नं0 28 के किला नं0 12, 13, 18, 19, 21 ता 23 मु0नं0 30 के किला नं0 1 ता 4, मु0नं0 32 के किला नं0 2 ता 9, 12 ता 14, कुल 5.135 है0 बारानी खातेदारी मय रास्ता की कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्श शाखा गांधीबडी के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वाद भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़